संख्याः 116 /XXVI/तीन (2)/2010

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2

देहरादून, दिनांकः 16 जुलाई, 2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोजनेत्तर मद के अंतर्गत पुनर्विनियोग।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम के पत्र सं0–309/बी0सू0का0/(आय–व्यय)/2010–11, दिनांक 18 जून, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदया अनुदान संख्या–07 के अधीन लेखा शीर्षक–3454–02–001–04 के अन्तर्गत मद संख्या–04–यात्रा व्यय, मद संख्या–07–मानदेय, मद संख्या–16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा मद संख्या–17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व मद में संलग्न बी0एम0–15 के अनुसार बचतों को व्यावर्तित करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल रू0 8,78,000/– (रूपये आठ लाख अठ्हत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि के आहरण एवं व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते है:–

1– उक्त धनराशि केवल उन्ही मदों पर व्यय की जायेगी जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है। चालू योजना पर ही व्यय किया जाए और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नई मदों के क्रियान्वयन के लिये नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यों पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मित्व्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जाएगा।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का एकमुश्त आहरण न करके यथा आवश्यकता अनुसार ही व्यय किया जायेगा तथा व्यय की विवरण यथासमय प्रत्येक माह बी0एम0–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

4– यह सुनिश्चित किया जाए कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में अब तक जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

5– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 04–बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान–मद संख्या–04–यात्रा व्यय, मद संख्या–07–मानदेय, मद संख्या–16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान तथा मद संख्या–17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व मद के नामें डाला जायेगा।

6– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0–286 NP/XXVII/(5)/2010, दिनांक 12 जुलाई, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्याः 118 (1)/XXVI/तीन(2)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– उप निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
5– समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
संयुक्त सचिव।

आय–व्यय प्रपत्र–15
पुनर्विनियोग 2009–2010 विवरण पत्र

आयोजनेत्तर
(प्रशासनिक विभाग–नियोजन विभाग)

नियंत्रक अधिकारी– प्रमुख सचिव, नियोजन

अनुदान संख्या–07
(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि (सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है तथा स्थानान्तरित की जाने वाली धनराशि		पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–05 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–01 में अवशेष धनराशि	टिप्पणी
1	2	3	4	5		6	7	8
अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक– 2052–सचिवालय सामान्य सेवायें 800–अन्य व्यय 03–वेतन पुनरीक्षण एवं मंहगाई भत्ते आदि की वृद्धियों के लिए एक मुश्त प्राविधान 0301– सरकारी कर्मचारियों के लिए 03– महंगाई भत्ता– 95360	–	90000	5360	अनुदान संख्या–07 लेखाशीर्षक– 3454–जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी 02– सर्वेक्षण सांख्यिकी 001–निदेशन तथा प्रशासन 04–बीस सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन अधिष्ठान 04–यात्रा व्यय– 07–मानदेय– 16– व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व–	50 82 500 246	100 132 1400 247	94482	मा0 उपाध्यक्ष, बीस सूत्रीय कार्यक्रम के लम्बित देयकों तथा उनके कार्यालय एवं अन्य सुविधाओं हेतु विभिन्न मदों में धनराशि रू0 878 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता के दृष्टिगत पुनर्विनियोग का प्रस्ताव किया जा रहा है।
योग 95360		90000	5360		878	1879	94482	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग के बजट मैनुअल के परिच्छेद–150,151,155 एवं 156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।

D:\official\8c